

since no demarcation of the land as Forest or Revenue in question has been done by the Respondent No. 4, 5, 6 and 7. It was earlier directed by this Hon'ble Tribunal also on dated 31.08.2023 "if there is any matter with regard to the demarcation of the land, the District Magistrate is further directed to immediately demarcate the land within 15 days by way of deputing revenue officials and ensure to remove the encroachment immediately." But till now, due to non-disclosure of actual map of Nahargarh Wildlife Sanctuary as well as survey nos., by the forest department the work is incomplete.

3. That, the Respondent officials well aware about the fact regarding some portion which was allotted to the Applicant/RIICO, i.e., Khasra No. 3, Gram Kookerkheda Bir Papad, whereof this land has been claimed by the forest department which is adjacent to Khasra No. 10 Gair Mumkin Naala. However, we reiterate that we have not encroached any forest land. It is necessary to get the clarification regarding details of Survey Nos. and map notified on dated 22.09.1980 for preparing the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary. Therefore, it is necessary to disclose the actual map along with survey nos. based upon the KML File was prepared which is in possession of Forest Department.
4. That, however, the Applicant/Respondent No. 8 & 9 RIICO has vide letter dated 08.12.2023 and even after this continuously written letter making communications with the Forest officials for disclosure of such map with Survey Nos. to resettle the issue with regard to land dispute at the

earliest. But no response, received nor such map and survey nos. has been disclosed by the Forest Department. Copy of communications made to Respondent No. 7 Dy. Conservator of Forest, to provide a copy of Naksha (Map) along with survey nos. of Nahargarh Wildlife Sanctuary as well as Eco-Sensitive Zone map is attached for reference by this Hon'ble Tribunal as **ANNEXURE R-8/1**.

5. That, without demarcation it is difficult to ascertain the area falling in the forest or revenue land adjacent to Nahargarh Wildlife Sanctuary.
6. That, without having actual map and material on record to settle the issue before this Hon'ble Tribunal, it will be difficult to ascertain the area as well as boundary pertaining to forest and revenue land. The fact of the case is that the contention of Applicant/ Respondent No. 8 & 9 from the beginning is that the land is of revenue which was duly transferred in favour of RIICO in year 1971. Hence, the allegation of land being a forest land is unfounded, incorrect. Therefore, in the interest of justice it will be prudent to call for the actual map of Nahargarh Wildlife Sanctuary including Survey Nos, which is necessary for fairly disposing of the present matter.
7. That, when left with no option, the Applicant/Respondent No. 8 & 9 also wrote a letter to the Collector, Jaipur Respondent No. 3, to demarcate the land between the survey no. 3 Village Bir Papad and survey no. 10 Gair mumkin Naala so as to delineate the issue. But surprisingly till date no demarcation of land has been done by the Revenue Department. Therefore, it is necessary that

direction for discovery of forest map be made in the interest of justice.

8. That, an affidavit is also being filed in support of the application.


PRAYER

In view of the above facts and circumstances, it is therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to allow the application and direct the Respondent No. 4, 5, 6 & 7 to produce actual map and survey nos. of Nahargarh Wildlife Sanctuary and eco-sensitive zone, being necessary to fairly dispose the present matter, in the interest of justice.

Date: 24/09/2024

Place: Bhopal

Filed By
[Applicant/Respondent No 8 & 9 RIICO]



(Om Shanker Shrivastava, Advocate)

[Counsel for RIICO]

OMSLAWHOUSE: R-52, Zone-II, MP Nagar

Bhopal -11 (MP) Ph:-7869911990/

Email:- omslawhouse1@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CZ BENCH AT BHOPAL (M.P).**

I.A. No.103/2024

In

O.A. No. 97 of 2022

APPLICANT **KAMAL TIWARI**

VERSUS

RESPONDENT(S) **UNION OF INDIA & ORS.**

AFFIDAVIT

I, K.K. Kothari, S/o Shri. Patel Lal Age 56 Years, Sr. Dy. General Manager, RIICO, Jaipur (North), VKI Area, Jaipur do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That, the deponent being OIC is authorized on behalf of RIICO for filing the instant application and is well acquainted with the facts of the case.
2. That, the application is drafted on deponent's instructions by deponent's Counsel. The deponent has read and understood the same, which are true and correct. Para 1 to all of the accompanying submission and prayer clause are true to the best of the deponent's personal knowledge.
3. That, this affidavit is executed in support of the application filed herewith.



ATTESTED

**NOTARY PUBLIC
V.K. SAINI (RAJ.)**

25 SEP 2024

VERIFICATION

I, the above deponent, do hereby verify that the contents of this affidavit from paragraphs 1 to 3 are true based on available documents on record and to my personal knowledge and belief. Signed and verified on this day of September 2024 at Jaipur.

[Signature]
DEPONENT
Sr. Dy General Manager
RIICO V.K.I.A.
JAIPUR (NORTH)

[Signature]
DEPONENT
Sr. Dy General Manager
RIICO V.K.I.A.
JAIPUR (NORTH)



Rg. AD



Rajasthan State Industrial Development
& Investment Corporation Limited
(A Rajasthan Government Undertaking)
Road No. 5, V.K.I. Area, JAIPUR-302013
CIN No.: U13100RJ1969SGC001263
GSTIN: 08AABCR4695J1ZW
E-mail : jaipurnorth@riico.co.in
No. U/(13)/2023-24/ 4662
Date: 08/12/23

उपवन संरक्षक (वन्य जीव)

चिडियाघर, जयपुर

विषय: नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के संबंध में।

संदर्भ: इकाई कार्यालय का पत्र क्रमांक 4096 दिनांक 27.10.2023

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के जरिये इकाई कार्यालय द्वारा आपको पत्र प्रेषित कर नाहरगढ अभ्यारण्य की सीमा से संबंधित खसरा नम्बर अनुसार विस्तृत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करवाये जाने एवं केएमएल फाईल में सीमांकन किस आधार पर किया गया है, का विवरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया था। परंतु उक्त पत्र का जवाब आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है।

यहाँ यह उल्लेखित है कि खसरा न. 3 ग्राम बीड पापड कुल रकबा 131 बीघा 09 बिस्वा की भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.01.1971 को आवंटित किया गया था एवं मौके पर भी उक्त खसरे के लगभग आधे हिस्से में औद्योगिक इकाइयों तत्समय से ही स्थापित है। मौके की स्थिति के अनुसार खसरा न. 03 के बाद खसरा न. 10 गैर-मुमकिन नाला वन विभाग के नाम से दर्ज है एवं नाहरगढ अभ्यारण्य की सीमा खसरा न. 10 तक ही लगती हुई है। इस प्रकार मौके की स्थिति एवं केएमएल फाईल में दर्ज सीमा में बहुत अंतर है एवं केएमएल फाईल के आधार पर सीमा का निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं उक्त केएमएल फाईल एवं अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ग्राम बीड पापड खसरा न. 3 की भूमि इसमें सम्मिलित है अथवा नहीं।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि नाहरगढ अभ्यारण्य की सीमा से संबंधित खसरा नम्बर अनुसार विस्तृत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करवाये जाने श्रम करावे एवं केएमएल फाईल में सीमांकन किस आधार पर किया गया है, का विवरण उपलब्ध करवाये जाने का श्रम करावे।

सधन्यवाद

भवदीय



(के. के. कोठारी)

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक

संलग्न: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:

1. अति. महाप्रबंधक (ईएम), रीको लि0, उद्योग भवन तिलक मार्ग, जयपुर को सूचनार्थ।


वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक

07/12/23



Rajasthan State Industrial Development
& Investment Corporation Limited
(A Rajasthan Government Undertaking)
Road No. 5, V.K.I. Area, JAIPUR-302013
CIN No.: U13100RJ1969SGC001263
GSTIN: 08AABCR4695J1ZW
E-mail : jaipurnorth@riico.co.in
No. U/(13)/2023-24/ 4096-4098
Date: 27/10/23

उपवन संरक्षक (वन्य जीव)

चिडियाघर, जयपुर

विषय: नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पत्र क्रमांक 8124 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा इकाई कार्यालय को नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 एवं इको सेन्सिटीव जोन की केएमएल फाईल प्राप्त हुई है। उक्त केएमएल फाईल एवं अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ग्राम बीड पापड खसरा न. 3 की भूमि इसमें सम्मिलित है अथवा नहीं।

यहाँ यह उल्लेखित है कि खसरा न. 3 ग्राम बीड पापड कुल रकबा 131 बीघा 09 बिस्वा की भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.01.1971 को आवंटित किया गया था एवं मौके पर भी उक्त खसरे के लगभग आधे हिस्से में औद्योगिक इकाइयों तत्समय से ही स्थापित है। मौके की स्थिति के अनुसार खसरा न. 03 के बाद खसरा न. 10 गैर-मुमकिन नाला वन विभाग के नाम से दर्ज है एवं नाहरगढ अभ्यारण्य की सीमा खसरा न. 10 तक ही लगती हुई है। इस प्रकार मौके की स्थिति एवं केएमएल फाईल में दर्ज सीमा में बहुत अंतर है एवं केएमएल फाईल के आधार पर सीमा का निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः नाहरगढ अभ्यारण्य की सीमा से संबंधित खसरा नम्बर अनुसार विस्तृत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करवाये जाने श्रम करावे एवं केएमएल फाईल में सीमांकन किस आधार पर किया गया है, का विवरण भी उपलब्ध करवाये जाने का श्रम करावे।

सधन्यवाद

भवदीय

(के. के. कोठारी)
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
प्रतिलिपि:

1. अति. महाप्रबंधक (ईएम), रीको लि0, उद्योग भवन तिलक मार्ग, जयपुर को पत्र दिनांक 25.10.2023 के क्रम में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा आज दिनांक 27.10.2023 को मौके का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरकर्ता की उपस्थिति में किया गया जिसमें निगम का पक्ष समिति के समक्ष रखा गया।
2. श्री आर.बी.जैमिनी, क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय विशेषाधिकारी (भूमि), रीको, उद्योग भवन, जयपुर में सम्पर्क कर औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा हेतु आवंटित भूमि से संबंधित रिकोर्ड की प्रति 03 दिवस में प्राप्त करने का श्रम करे।

(के. के. कोठारी)
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
27.10.23

OK



Rajasthan State Industrial Development
& Investment Corporation Limited
(A Rajasthan Government Undertaking)
Road No. 5, V.K.I. Area, JAIPUR-302013
Phone : (0141) – 2330540, Fax : 2333863
CIN No.: U13100RJ1969SGC001263
GSTIN: 08AABCR4695J1ZW
E-mail : jaipurnorth@riico.co.in
No. U/(13)/2023-24/ 3802
Date: 10/10/23

उप वन संरक्षक
वन्य जीव (चिडियाघर),
रामनिवास बाग, जयपुर


विषय : वनपाल नाका, मायला बाग वन क्षेत्र, नाहरगढ़ अभयारण्य क्षेत्र के संबंध में।
संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक एफ60 सर्वे/उवस./पू/2022-23/10302 दिनांक 22.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना हेतु आवंटित भूमि में खसरा न. 3 ग्राम बीड़ पापड़ की भूमि सम्मिलित है जो कि वन विभाग के खसरा न. 10 के साथ-साथ स्थित है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप-8 आदेश क्रमांक एफ.11(39)/राज. 8/80 जयपुर दिनांक 22.09.1980 को जारी अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करवाये जाने का श्रम करावे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि खसरा न. 3 ग्राम बीड़ पापड़ को नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में शामिल किया गया है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के साथ दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के जरिये इको सेन्सेटिव जोन की सीमा घोषित की गई है। अतः रीको औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा के साथ नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के इको सेन्सेटिव जोन की सीमा को सुपरइंपोज करते हुए नक्शे की प्रति उपलब्ध करवाये जाने का श्रम करावे।

सधन्यवाद,

भवदीय,


(क.के.कोठारी)

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक

7

1/33

सौ. का खिद्यति

ख. न. 3 ग्राम पापडकीड

तह. 0 जयपुर

मौका रिपोर्ट ग्राम पापडबीड तह. जयपुर जिला जयपुर (9)
 ख. न. 3 रकबा 131 बीघा 9 बिस्वा के लिए राजस्व (8)
 से जैसी को तकनीकी सहयोग प्रदान EDM मशीन द्वारा

आदेश श्रीमान् भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर क्रमांक 1872 दिनांक 29.8.08. श्रीमान् भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय जयपुर के आदेश क्रमांक /भू प्र.ज/ समसंख्यक 912 दिनांक 3.9.2008 एवं क्रमांक समसंख्यक 942 दिनांक 05.9.2008 की अनुपालना में भू प्रबन्ध विभाग की EDM टीम मय EDM मशीन के मौके पर पहुंचें। मौके पर श्रेष्ठ प्रबन्धक शे.को. रोड नं. 5 बी.के. आई रेविया जयपुर के अधिकारी गण एवं राजस्व टीम के ग्राम जैसल्या, ग्राम-बीड जैसल्या तथा पापडबीड के परवारी जी एवं गिरदावर भी मौके पर मय राजस्व रिकार्ड नक्शा एवं जमाबंदी के साथ रहे।

संयुक्त टीम के साथ मौका देखा गया। मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुये पाया कि सम्बन्धित सभम्या पापडबीड ग्राम, ग्राम बीड जैसल्या की सीमा एवं पास में ग्राम जैसल्या है। सम्बन्धित समस्या वाली भूमि किस जम्मे राजस्व ग्राम में पड़ती है।

इसके लिये EDM से सर्वे किया गया जिसमें Station No. 20 से 24 बिन्दु Station No. 1 एवं बिन्दु न. 25 से सर्वे बिन्दु क्रमांक 26 से 33 तक स्टेशन न. 2 बिन्दु न. 34 से बिन्दु न. 35 से 46 तक स्टेशन न. 3 बिन्दु न. 47 से बिन्दु न. 48 से 58 तक, स्टेशन न. 4 बिन्दु न. 56 से बिन्दु न. 60 से 65 तक, स्टेशन न. 5 बिन्दु न. 59 से बिन्दु न. 66 से 76 तक स्टेशन zero से पश्चिम दिशा में दिशा में स्टेशन न. 61 से बिन्दु 77 से 90 तक सर्वे किया गया जिससे मौका स्थिति एवं Reference बिन्दु प्राप्त किये गये वृथक से लायी गयी एक ग्रीडशीट पर स्टेशन एवं बिन्दुओं को प्लोटिंग किया गया एवं नक्शा बनाया गया।

राजस्व ग्राम बीड जैसल्या, जैसल्या एवं पापडबीड का एक संयुक्त नक्शा ट्रेसिंग किया गया दोनों नक्शों को सुपर इम्पोज किया गे गया जिसमें सुपर इम्पोज Reference point. ग्राम जैसल्या के ख. न. 23 व 23 के बीच की मेड (3) ख. न. 23 व ख. न. 23 के बीच का कोठा, पापडबीड पापड, बीड जैसल्या व ग्राम जैसल्या का त्रिपटा 5 व बीड पापड ग्राम ख. न. 10 के दक्षिणी मेड को मानते हुये सुपर इम्पोज किया गया। इसके बाद मौका नक्शा को राजस्व नक्शे में ट्रेस किया गया है।

01/01/05
 [Signatures and stamps]

6
 WJ (2)

इस प्रकार एक सुपर इम्पोज नक्शा तैयार किया गया है। जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है। काली स्थायी से बना नक्शा राजस्व नक्शे का ड्रेस है तथा लाल स्थायी से बना नक्शा मौका नक्शा है। नीली स्थायी से बने चिन्ह Station No. 2000, 1, 2, 3, 4, 5 व 1W है। इन स्थानों पर मशीन खंती कर मौका सर्वे किया गया है। पटवार नक्शा सब रेकार्ड देखा तो पाया ख.न. 3 एवं इसके पूर्व, पश्चिम व उत्तर दिशा से लगती जमीन Rico की ही है। दक्षिण दिशा में ख.न. 10 नाला पड़ता है। नाला पर लाल बिन्दु 77, 5, 9, 3, 79 से 88 तक मोने पर 2000 द्वारा निशान बना दिए गये हैं। नाला ख.न. 10 के उत्तरी ओर के सिरे पर लाल व दक्षिण में लगती बनी काली रेखा के बीच हरी स्थायी से दर्शाया स्थान ख.न. 3 के अन्तर्गत आता है। जो अब नाले के अन्तर्गत क्षेत्र में है। इसका क्षेत्रफल 1.93 हैक्टर है। ख.न. 3 में बिन्दु 16, 14, 5, 19, 13, 15 व 4 के बीच का क्षेत्र नाले की जमीन ख.न. 10 का हिस्सा क्षेत्रफल 0.05 हेक्टर होता है।

V.K.I में स्थित भूखण्ड सं 674 B लाल स्थायी से बिन्दु 17, 18, 21 व 22 से दर्शाया गया है।

इससे लगता क्षेत्र Station zero का बिन्दु से बिन्दु न. 77, 20, 19, 7, 17, 18 एवं 21 जिसे K Blocks नाम दिया है। जिसका क्षेत्रफल 0.76 है। जो ग्राम बीड पापड के ख.न. 3 में स्थित है। रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार सहाय जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

संलग्न:- (1) मौका रिपोर्ट पृष्ठ 1 से 2 तक (2) मौका सर्वे निर्देशांक सूची पृष्ठ 3 से 6 तक (3) सुपर इम्पोज नक्शा पृष्ठ न. 7। उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवाये जायें।

1. भू प्रबन्ध EDM टीम

1. श्री श्याम मोहन अग्रवाल निरीक्षक (3) ग्राम बीड जैसलिया
 2. श्री सुरेश लाल खेन भूमापक (1) श्री रामसिंह कविता पटवारी
 (3) श्री बंशीधर माली भूमापक (3) श्रीको विभाग दल

2. राजस्व टीम : 1. ग्राम पापड बीड

- (1) श्री सतीश शास्त्री गिरदावर ! श्री वी.के. गुप्ता स.से.प्र.
 (2) श्री पूर्ण मल वर्मा पटवारी 2. श्री जे.सी. कदावा स.स्थल अति.
 (3) ग्राम जैसलिया 3. श्री आर.के. अत्री स.स्थल अति.
 (4) श्री दिनेश कुमार हुलश्री गिरदावर
 (5) श्री जगदीश प्रसाद आदव पटवारी

(4)

WDS

Serial No	Angle	Distance	Easting	Nothing	Particulars
25 Station I	017. 16. 00	206. 077	61. 168	196. 790	Station No. I
26	206. 20. 50	61. 415	-27. 257	-55. 035	at station No I
27	209. 27. 13	35. 413	33. 311	141. 735	at zero station.
28	181. 43. 11	35. 365	-17. 413	-30. 836	at st. No I
29	237. 30. 43	10. 039	43. 755	165. 954	at zero station.
30	47. 43. 29	11. 779	-1. 061	-35. 349	at st. No I
31	00. 27. 05	18. 304	60. 107	161. 441	at zero station.
32	35. 07. 17	46. 252	-8. 468	-5. 392	at st. No I
33	29. 25. 12	75. 597	52. 700	191. 398	at zero station.
34 St.	25. 33. 41	129. 664	11. 672	-1. 583	at st. No I
35	212. 10. 42	87. 462	72. 846	195. 287	at zero station.
36	219. 55. 20	56. 016	0. 144	18. 303	at st. No I
37	244. 59. 59	75. 111	61. 312	215. 093	at zero station
38	243. 52. 58	40. 133	26. 609	37. 831	at st. No I
39	234. 37. 23	33. 362	87. 777	234. 621	at zero station.
40	28. 58. 11	5. 866	37. 134	65. 848	at st. No I
41	348. 29. 31	41. 320	98. 392	262. 638	at zero station.
42	351. 53. 05	42. 219	55. 947	116. 973	station No 2
43	9. 58. 28	44. 470	117. 115	313. 763	at st. No zero.
44	22. 41. 13	35. 857	-46. 579	74. 028	at station No 2
45	2. 17. 29	89. 450	70. 536	239. 735	at station No zero
46	5. 31. 44	100. 574	-35. 948	-42. 960	at station No 2
47 St.	13. 42. 02	99. 062	81. 167	270. 803	at station No zero.
48	185. 10. 27	64. 690	-68. 078	-31. 746	at station No 2
49	136. 34. 10	7. 976	49. 037	282. 017	at station No zero.
50	91. 31. 08	7. 168	-36. 629	-16. 398	at station No 2
51	313. 42. 16	6. 241	80. 486	297. 365	at station No zero.
52	10. 48. 34	48. 158	-27. 202	-19. 315	at st. No 2
53	16. 38. 18	66. 492	89. 913	294. 498	at st. No zero.
54	23. 44. 11	72. 292	2. 841	5. 132	at st. No 2
55	23. 38. 46	63. 787	119. 956	318. 885	at st. No zero
56	109. 21. 05	65. 676	-8. 246	40. 490	at st. No 2
57	114. 14. 36	66. 982	108. 875	354. 253	at st. No zero
58			-5. 678	39. 816	at st. No 2
			111. 437	353. 579	at st. No zero
			7. 703	43. 797	at st. No 2
			124. 818	357. 533	at station No zero
			13. 830	33. 082	at st. No 2
			130. 945	347. 583	at station No zero
			3. 576	88. 379	at st. No 2
			120. 691	403. 142	at station No zero
			9. 690	100. 106	at st. No 2
			126. 805	413. 869	at station No zero.
			23. 463	96. 243	at station No. 3
			140. 578	410. 006	at station No zero.
			-5. 834	-64. 427	at station No. 3
			134. 730	345. 579	at st. zero.
			5. 484	-5. 793	at st. No. 3
			146. 062	404. 213	at st. zero
			7. 166	-0. 190	at st. No. 3
			147. 744	409. 816	at st. zero
			-4. 512	4. 312	at st. No. 3
			136. 066	414. 318	at st. zero
			9. 032	47. 303	at st. No. 3
			149. 610	457. 309	at st. zero
			19. 002	63. 720	at st. No. 3
			159. 580	473. 726	at st. zero
			29. 100	66. 176	at st. No. 3
			169. 678	476. 102	at st. zero
			25. 584	58. 431	at st. No. 3
			166. 162	468. 437	at st. zero
			61. 960	-21. 760	at st. No. 3
			202. 538	388. 246	at st. zero
			61. 075	-27. 504	at st. No. 3
			201. 002		

Handwritten signatures and notes:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

3 (3)

W

(5)

serial No 1	Angle 2	Distance 3	Easting 4	Northing 5	particulars 6
50 st.	47.53.52	100.174	274.824 274.802	67.162 477.168	st. No. 4 at st. No. zero.
60	150.39.22	32.045	11.663	-29.847	at st. No. 4
61	133.57.22	62.712	226.565	447.321	at st. No. zero.
62	120.42.01	69.937	45.145	-43.529	at st. No. 4
63	85.11.42	80.011	260.047	433.639	at st. No. zero.
64	85.05.37	69.329	54.581	-43.728	at st. No. 4
65	122.50.36	59.346	267.403	433.440	at st. No. zero.
59 st.	110.36.15	148.500	79.729	6.702	at st. No. 4
66	291.33.16	46.616	294.631	483.870	at st. No. zero.
67	16.37.42	64.213	69.075	5.930	at st. No. 4
68	23.56.52	63.310	283.977	483.098	at st. No. zero.
69	11.05.25	48.300	49.860	-32.186	at st. No. 4
70	25.51.27	41.757	264.762	444.982	at st. No. zero.
71	202.15.35	6.742	139.001	-52.259	at st. No. 5
72	206.27.55	63.451	279.579	357.747	at st. No. zero.
73	212.42.24	95.744	-43.356	17.126	at st. No. 5
74	209.58.21	125.039	236.223	374.873	at st. zero.
75	202.15.01	124.403	18.375	41.528	at st. No. 5
76	205.16.32	157.511	297.954	414.275	at st. zero.
			25.690	57.860	at st. No. 5
			305.277	415.607	at st. zero.
			9.292	47.403	at st. No. 5
			288.871	405.150	at st. zero.
			18.212	37.576	at st. No. 5
			297.791	375.323	at st. zero.
			-2.354	-6.239	at st. No. 5
			277.025	351.508	at st. zero.
			-28.277	-56.801	at st. No. 5
			251.302	300.946	at st. zero.
			-51.734	-80.564	at st. No. 5
			227.845	277.183	at st. zero.
			-62.467	-108.317	at st. No. 5
			217.112	249.430	at st. zero.
			-47.106	-115.140	at st. No. 5
			232.473	242.607	at st. zero.
			-67.253	-142.432	at st. No. 5
			212.326	215.315	at st. zero.

(2) (6)
 407

Serial No	Angle	Distance	Easting	Northing	Particulars
1	2	3	4	5	6
78 St:	200.36.59	360.050	-126.780	-336.999	Station No. 1 zero to West side
79	23.50.45	170.249	68.820	153.716	at St. No. W,
			-57.952	-181.283	at St. zero
80	19.52.04	105.969	36.014	99.662	at St. No. W,
			-104.842	-237.337	at St. No. zero
81	31.52.08	22.557	11.906	19.152	at St. No. W,
			-114.874	-317.847	at St. No. zero
82	185.51.03	84.910	-8.656	-84.475	at St. No. W,
			-135.436	-421.474	at St. No. zero
83	201.02.05	180.364	-64.739	-160.345	at Station No. W,
			-191.579	505.344	at St. No. zero.
84	204.45.15	180.118	-75.420	-163.567	at station No. W,
			-202.200	-500.566	at St. No. zero.
85	221.49.33	141.441	-74.322	-105.398	at station No. W;
			-221.102	-442.397	at St. No. zero.
86	226.13.52	163.181	-117.839	-112.880	at station No. W;
			-244.619	-449.879	at St. No. zero.
87	243.12.04	143.664	-130.416	-60.258	at station No. W
			-257.196	397.257	at St. No. zero
88	204.22.47	286.445	-110.237	-260.902	at station No. W,
			-245.019	-597.901	at St. No. zero.
89	160.53.55	329.021	63.164	-322.901	at station No. W;
			-63.616	-659.900	at St. No. zero
90	151.51.23	207.101	97.724	-182.685	at station No. W
			-29.056	-519.684	at St. No. zero.

G. M. ...

...

...



Rajasthan State Industrial Development
& Investment Corporation Limited
(A Rajasthan Government Undertaking)
Road No. 5, V.K.I. Area, JAIPUR-302013
Phone : (0141) – 2330540, Fax : 2333863
CIN No.: U13100RJ1969SGC001263
GSTIN: 08AABCR4695J1ZW
E-mail : jaipurnorth@riico.co.in
No. U/(13)/2024-25/
Date:

30/9
24/09/2024

उप वन संरक्षक (वन्य जीव),
चिडियाघर,
जयपुर।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा प्रकरण संख्या 97/2022, कमल तिवाड़ी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31.08.2023 की अनुपालना के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा प्रकरण संख्या 97/2022, कमल तिवाड़ी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31.08.2023 की अनुपालना में औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना हेतु निगम को आवंटित खसरा नम्बर 3 एवं खसरा नं 10 गैर मुमकिन नाला (वन विभाग), ग्राम-बीड़ पापड़ के मध्य सीमांकन का कार्य राजस्व विभाग की मदद से किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे कि :-

“We direct the Collector, Jaipur to immediately remove encroachment and ensure that no industrial untreated water is discharged into the Nahargarh Wildlife Sanctuary and adversely affecting the wildlife & the environment. If there is any matter with regard to the demarcation of the land, the District Magistrate is further directed to immediately demarcate the land within 15 days by way of deputing revenue officials and ensure to remove the encroachment immediately.

माननीय एनजीटी भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2023 के क्रम में सीमांकन का कार्य राजस्व विभाग द्वारा 15 दिवस में किया जाना था किन्तु तत्समय उक्त सीमांकन का कार्य नहीं किया जा सका है। माननीय एनजीटी, भोपाल द्वारा पुनः आदेश दिनांक 25.09.2023 के जरिये प्रकरण की वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतु निम्न अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया :-

1. Representative from MoEF&CC
2. Representative from the Additional Chief Secretary, Forest and Wildlife, Govt. of Rajasthan
3. One representative from Principal Chief Conservator of Forest, Govt. of Rajasthan.
4. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan

cc: aia

उक्त कमेटी द्वारा माननीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रीको द्वारा वन विभाग की कुछ भूमि पर नाले का निर्माण किया गया है।


कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रम में निवेदन है कि :

- रीको द्वारा खसरा नम्बर 3 की भूमि पर किये जा रहे नाला निर्माण आदि अन्य कार्यों को लेकर माननीय एनजीटी भोपाल के समक्ष एक ऑरिजनल प्रार्थना पत्र संख्या 97/2022 (कमल तिवाडी बनाम भारत संघ व अन्य) दायर की गई जिसमें प्रार्थी द्वारा माननीय एनजीटी के समक्ष रीको द्वारा वन विभाग की भूमि पर पक्का नाला निर्माण किये जाने एवं गैर मुमकिन नाला वन विभाग में औद्योगिक इकाईयाँ द्वारा अपशिष्ट जल छोड़े जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
- औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा की स्थापना हेतु निगम को आवंटित खसरा नं 3 के समीप खसरा नं 10 गैर मुमकिन नाला (वन विभाग), ग्राम बीड पापड़ स्थित है। खसरा नं 3 की भूमि राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 30.01.1971 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ निगम को आवंटित की गई थी। खसरा नम्बर 3 के अधिकांश भाग पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का नियोजन कर विकसित करते हुए आवंटन किया जा चुका है एवं औद्योगिक इकाईयाँ संचालित है। खसरा नम्बर 3 की कुल 30.76 एकड़ भूमि वर्तमान में अविकसित है।
- राजस्व विभाग एवं सेटलमेंट विभाग द्वारा वर्ष 2008 में खसरा नम्बर 3 का मौके पर सीमांकन का कार्य किया गया था जिसके अनुसार रीको द्वारा मौके पर डिमार्केशन पिल्लर वर्ष 2015-16 में निर्मित करवा लिये गये थे। उक्त डिमार्केशन पिल्लर के निर्माण के समय किसी प्रकार की आपत्ति वन विभाग द्वारा दर्ज नहीं करवाई गई थी।
- खसरा नम्बर 3 से लगती हुई खसरा नम्बर 10 की भूमि है जो कि नाले की किस्म है एवं उक्त नाले के पश्चात वन विभाग की भूमि है। रीको द्वारा खसरा नम्बर 10 में किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया गया है।

माननीय एनजीटी द्वारा दिनांक 31.08.2023 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में रीको को आवंटित खसरा नं 3 ग्राम-बीड पापड़ एवं खसरा नं 10 गैर मुमकिन नाला के मध्य सीमा का सीमांकन करवाये जाने हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर, जयपुर को पत्र दिनांक 24.09.2024 के दौरान निवेदन किया गया है कि ताकि प्राधिकरण के समक्ष यह स्पष्ट किया जा सके कि रीको द्वारा वन विभाग की भूमि पर कोई नाले का निर्माण नहीं किया गया है।

सधन्यवाद,

भवदीय,


(क.के. कोठारी)

वरि. उप महाप्रबंधक

संलग्न :

1. राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2008 में खसरा नं 3 रकबा 131 बीघा 09 बिस्वा, ग्राम-बीड पापड़ की मौका सर्वे रिपोर्ट मय सर्वे निर्देशांक सूची एवं खसरा सुपर इम्पोज नक्शा।
2. इकाई कार्यालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में लिखे गये पत्र दिनांक 10.10.2023, 27.10.2023 एवं 08.12.2023 की प्रति।



Adv Om Shrivastava <omslawhouse1@gmail.com>

IA in OA 97 of 2022

1 message

Adv Om Shrivastava <omslawhouse1@gmail.com>

Wed, Sep 25, 2024 at 11:49 AM

To: shoeb khan <shoebkh@gmail.com>, arvindsoni_lawyer@yahoo.com, Ad Krishan Sharma <advocatekrishana@gmail.com>

Bcc: jaipurnorth@riico.co.in, shashikant@riico.co.in

Pls find enclosed the IA in OA 97 of 2022

--

Om Shanker Shrivastava, Advocate

OMSLAWHOUSE


R-52, Shivlok Parishar

MP Nagar, Zone-II, Bhopal (MP) PIN: 462011

Reach@7869911990/ 9300803211

[This communication contains information which is confidential and may also be legally privileged. It is for the exclusive use of the intended recipient/s. If you have received this communication in error, please delete the email and destroy any copies of it.]

कृपया इस ई-मेल के प्रिंटिंग से पहले पर्यावरण पर विचार करें, जब तक अति आवश्यक ना हो इस ई-मेल का प्रिंट ना ले, पेपर बचाए, वृक्ष बचाए।

 **IA Final.pdf**
6374K